बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

पत्रांकः— 1574(मा०) पटना, दिनांक 27/8/2019

प्रेषक,

के0 के0 पाठक,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी।

प्रबंध निदेशक,
दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी।

विषयः— **राजकीय नलकूपों के विद्युतीकरण एवं बिजली बिल के भुगतान के संबंध में।**

महाशय,

आज आप दोनों के साथ विभागीय अभियंताओं तथा आपके अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में नलकूपों के विद्युतीकरण के संबंध में बैठक हुई, जिसमें निम्नलिखित निर्णय पर सहमति हुईः—

(क) **बिजली के बिल के संबंध मेंः—** आप अवगत हैं कि राजकीय नलकूपों को पंचायतों को हस्तांतरित किया जा चुका है। बिजली का बिल अब पंचायतों के मुखिया ही भुगतान करेंगे। इसमें हाल ही में मंत्रिपरिषद में यह निर्णय लिया गया था कि पंचायतों को वास्तविक उर्जा खपत के आधार पर ही बिल दिया जाय। अन्य प्रकार के शुल्क यथा—मीटर किराया, जी.एस.टी इत्यादि का उल्लेख बिल में नहीं किया जाय, क्योंकि उसका भुगतान इस विभाग द्वारा किया जायेगा। इस आलोक में आज की बैठक में यह तय हुआ कि मीटर किराया इत्यादि का बिल मन्युअल रूप से तैयार करके समेकित रूप से इस विभाग को हर क्वार्टर में भेजा जाएगा और विभाग इसे नियमित रूप से सीधे बिजली कंपनियों को भुगतान करेगा। पंचायतें केवल वास्तविक खपत का भुगतान करेगी। पंचायतों को दिए गए बिल का भुगतान अगर पंचायतें ससमय नहीं करते हैं तो आपके नियमानुसार उन नलकूपों का संबंध विच्छेद भी किया जा सकता है। साथ ही इस बात पर भी सहमति बनी कि लघु जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार साफ्टवेयर को ही विद्युत कंपनी अपने साफ्टवेयर से इस प्रकार लिंक करें कि पंचायतों को भेजे जाने वाले बिल हमारे साफ्टवेयर में Automatically reflect हो ताकि यह विभाग भी बिजली बिल भुगतान का अनुश्रवण कर सके।

(ख) **नलकूपों को ऊर्जान्वित करने के संबंध मेंः—** इस बात पर भी सहमति बनी कि नाबार्ड फेज—3, 8 एवं 11 में जो राजकीय नलकूप हैं उनको ऊर्जान्वित करने पर जो खर्च आयेगा उसको विद्युत कंपनी ही वहन करेगी, क्योंकि पूरी राशि पूर्व में ही विद्युत कंपनियों को सौंप दी गयी थी।

यह भी सहमति बनी कि जो पुराने नलकूप हैं, जिनमें अभी विद्युतीकरण नहीं हुआ है, उनका भी विद्युतीकरण बिजली कंपनियों द्वारा किया जायेगा। दोनों विद्युत कंपनियाँ प्राथमिकता के आधार पर फिलहाल केवल वैसे पुराने नलकूपों पर कार्य करें जहाँ मुखियाओं द्वारा यांत्रिक दोष दूर किया जा चुका है अथवा यांत्रिक दोष दूर करने हेतु राशि दी जा चुकी है। इस कार्य को विद्युत कंपनियाँ प्राथमिकता के आधार पर, यथा O & M प्रक्रिया के तहत् कराएं।

पुराने वैसे नलकूप जहाँ पर विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है एवं यांत्रिक दोष दूर करने हेतु पंचायतों को राशि ही नहीं दी गई है वहाँ उनका विद्युतीकरण करने के लिए दोनों कंपनियॉ सर्वे कर उनको चिन्हित कर विभागीय नियमानुसार अतिशीघ्र दिसम्बर 2019 के अंदर उक्त कार्य को सम्पन्न कराये। इस सर्वे में लघु जल संसाधन विभाग के अभियंता भी सहयोग करेंगे।

सभी पुराने नलकूपों के विद्युतीकरण पर जो भी राशि बिजली कंपनियों द्वारा व्यय की जायगी, उसकी मांग विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता अपने जिले के लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता के माध्यम से इस विभाग को भेजेंगे एवं उक्त राशि विभाग द्वारा सीधे विद्युत कंपनियों को उपलब्ध कराया जायगा।

(ग) यह देखा गया है कि नया कनेक्शन देने तथा अन्य कार्यों हेतु बिजली विभाग के अभियंताओं द्वारा Security Deposit एवं Supervision Charge इत्यादि की मांग की जा रही है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह सभी राजकीय नलकूप हैं जो मुखियाओं को दिए गए हैं। इनका स्वामित्व अभी भी लघु जल संसाधन विभाग के पास है। अतः यह मुखिया की सम्पति नहीं है बल्कि यह राजकीय सम्पत्ति है। अतः यह तय हुआ कि विद्युत कंपनियों के कार्यपालक अभियंता मुखियाओं से अथवा इस विभाग से किसी प्रकार का Security Deposit नहीं लें। जहाँ तक अन्य प्रकार के शुल्क यथा Supervision Charge है इत्यादि की बात है तो वह भी लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

विश्वासभाजन

(के0 के0 पाठक)
प्रधान सचिव।